दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 03-07-2025

भास्कर खास | फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ महिला की अपील खारिज

पत्नी ने 22 साल बाद मांगा भरण पोषण, हाई कोर्ट ने कहा- अब अधिकार का दावा न्यायसंगत नहीं

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

22 साल बाद पति से अंतरिम भरण पोषण की मांग करते हुए महिला ने याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट के आदेश में कोई गलती नहीं है। इतने लंबे अंतराल के बाद भरण पोषण की मांग उचित नहीं है।

दुर्ग में रहने वाली महिला ने अपने पति के खिलाफ बीएनएस की धारा 144 के तहत आवेदन देकर अंतरिम रूप से हर माह 40 हजार रुपए भरण-पोषण और 25 हजार रुपए मुकदमे पर हुए खर्च की मांग की थी। फैमिली कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि महिला 22 वर्षों तक चुप रही। अब अचानक भरण पोषण की मांग करना तर्कसंगत नहीं है। फैसले के खिलाफ महिला ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका लगाई।

महिला ने कहा था- वह भरण पोषण की हकदार

महिला ने हाई कोर्ट में तर्क दिया कि पत्नी होने के नाते वह भरण-पोषण की हकदार है, खासकर तब जब पति ने ही 2002 में उसे घर से निकाल दिया। कहा कि उसने अपनी सारी जमा पूंजी बेटे की पढ़ाई और बीमार पिता की दवाइयों में खर्च कर दी है। हालांकि हाई कोर्ट महिला के तर्कों से सहमत नहीं हुआ। याचिका खारिज करते हुए कहा कि महिला ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इतने वर्षों बाद आखिर किन कारणों से अचानक भरण-पोषण की जरूरत पड़ी। महिला पहले सरकारी सेवा में थी और उसने अपनी बेरोजगारी की स्थिति को भी स्पष्ट नहीं किया, ऐसे में माना जा सकता है कि उसके पास कुछ संसाधन तो हैं।

पटवारी थी, 2019 में की गई थी बर्खास्त

महिला ने बताया कि वह पहले सरकारी नौकरी में थी, लेकिन अब बेरोजगार है। वर्ष 2002 में पति और सास ने उसे और बेटे को घर से निकाल दिया था। वर्ष 2007 में उसे पटवारी की नौकरी मिली थी, लेकिन बाद में वह एक आपराधिक मामले में फंस गई और 2019 में सेवा से बर्खास्त कर दी गई।